संख्या-3-ए-2-वे0पु0-05/12-9403 /वि0, दिनांक- **05/09/2012**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग के अधीन विभिन्न पदों का दिनांक-01.01.06 से संशोधित एवं पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार द्वारा दो नए संवर्गो का गठन किया गया है- (i) बिहार ग्रामीण विकास सेवा और (ii) बिहार राजस्व सेवा । इन दोनों सेवाओं का आरम्भ पर्यवेक्षक स्तर के अराजपत्रित पद क्रमशः ग्रामीण विकास पदाधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक से होता है । इन पदों से प्रथम प्रोन्नति क्रमशः प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पद पर की जाती है। पूर्व में यह प्रावधान नहीं था । अंचल अधिकारी का पद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद बिहार प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि का पद था ।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं0- 3/स्था0 रा0भू0वि0-4020/08-09(3)/रा0, जी0एस0आर0, दिनांक-15.01.2010 के द्वारा राजस्व सेवा नियमावली का गठन किया गया है ।

3. सेवा नियमावली में स्थापित पदस्थिति में विहित पदों में से मूलकोटि एवं प्रोन्नति के स्तर के सभी पदों का वेतनमान, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक- 21.01.2010 के द्वारा सूचित नहीं किया जा सका है । अतएव, संकल्प संख्या-630, दि0- 21.01.2010, संकल्प सं0-10041, दि0-03.11.2011 एवं संकल्प संख्या-11989, दि0-30.12.2011 में राजस्व सेवा के पदों के लिए स्वीकृत/संशोधित वेतनमान के नए परिवेश में संशोधन/स्वीकृति का विषय विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरांत राजस्व सेवा नियमावली में विहित पदों का राज्य कर्मियों के लिए दिनांक-01.01.06 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित/पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है-

क्रसं0		पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1	अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड			
	(i)	अंचल अधिकारी	₹6500-10500/-	PB-2+4800/-
	(ii)	कार्यपालक दंडाधिकारी		
	(iii)	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी		
	(iv)	चकबंदी पदाधिकारी		

2.	**भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड**		
(i)	भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता	₹8000-13500/-	PB-3+5400/-
(ii)	सहायक निदेशक (कृषि गणना)		
(iii)	सहायक निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग		
(iv)	अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना		
(v)	अनुदेशक, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, पटना,		
(vi)	शोध पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय,		
(vii)	अपर अनुमंडल पदाधिकारी, भू-हदबंदी		
(viii)	अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी		

3.	**जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड**		
(i)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी;	₹10,000-15200/-	PB-3+6600/-
(ii)	विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग,		
(iii)	सहायक निदेश चकबंदी,		
(iv)	उप-निदेशक, कृषि गणना,		
(v)	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,		
(vi)	उप-निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग		

4.	**अपर समाहर्त्ता, भू-हदबंदी एवं समकक्ष ग्रेड**		
(i)	अपर समाहर्त्ता, भू-हदबंदी,	₹12,000-16500/-	PB-3+7600/-
(ii)	प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त,		
(iii)	प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण सस्थान, पटना,		
(iv)	उप निदेशक, चकबंदी,		
(v)	प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया,		
(vi)	संयुक्त निदेशक, कृषि गणना ।		

5. उपर्युक्त राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ, राजस्व सेवा नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक-15.01.2010 से अनुमान्य होगा । दिनांक-01.01.06 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान में पुनरीक्षण लाभ दिनांक- 15.01.2010 से यथा संशोधित/पुनरीक्षित होगा तथा यह पुनरीक्षण संकल्प संख्या-630, दिनांक- 21.01.10 के आलोक में किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-2-वे0पु0-05/2012-**9403**

पटना, दिनांक :-**05/09/2012**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 3ए-2-वे0पु0-05/2012-**9403**

पटना, दिनांक :-**05/09/2012**

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकरी / सभी लेखा पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।